

आज दिनांक 10/4/2014 को प्राचार्य कक्ष में प्राचार्य एवं अध्यापक की अध्यापकता में महाविद्यालय विकास समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे:-

इतिहास-
नोट्स

1. प्राचार्य डा. अरवि (लोकिया)
2. डॉ. सहाय डा. मनोज राजेश्वरी
3. स्थानीय विद्यालय श्रीमती राजकुमारी गार्ग
4. सहाय नगरपालिका, टिठौली (मि.) - श्री अरवि नरेंद्र
5. उपाधीन नरेंद्र " " श्री लक्ष्मण मीना
6. सहाय श्रीमती डा. दिनेश त्रिवादी
7. शिक्षा विड " श्री मोहन लाल गोपाल
8. शिक्षा विड " रेणु माल मीना
9. प्रमुख नागरीक " अजय मिश्र
10. " " " अनिल गोपाल
11. वरिष्ठ व्याख्याता " भगवान सहाय शर्मा
12. प्राचार्य डा. मनोहर (सहाय सहाय) " सुरेश कुमार गोपाल
13. सहाय सहाय डा. गोविन्द सहाय मीना
14. " " डा. सुरेश चन्द्र यादव
15. " " श्री लक्ष्मण मीना
16. " " डा. सुरेश कुमार गुप्ता
17. सहाय लोकपाल श्री श्रीमती सुरेश कुमार शर्मा
18. आभिनव " मदन मोहन गुप्ता
19. " " सुरेश चन्द्र मदन
20. छात्र सहाय अध्यापक " सुरेश सिंह गार्ग

सर्वप्रथम आचार्य भगवान सहाय शर्मा ने पिछली मीटिंग 15/12/16 की कार्यवाही का विवरण सदस्यों के समुपस्थित हुए पढ़कर सुनाया। सभी सदस्यों ने पिछली कार्यवाही का ध्यानपूर्वक से समुपस्थित किया। इसके बाद आज की कार्यवाही का एजेण्डा पढ़कर सुनाया एवं निम्नानुसार चर्चा कर सर्वानुमति से निम्न निर्णय लिए गये -

- (1) श्री अजय मिश्र ने संस्था में आधीकृत श्रमिकों में पेड़पौधों लगाने हेतु विचार रखा, तथा पौधों के संरक्षण हेतु नगरपालिका से डीगार्ड प्राप्त हेतु पत्राचार करने का सुझाव दिया। उक्त कार्य की पूर्ति हेतु एन.ए.ए.ए.ए. आधीकृत श्री गोविन्द सहाय मीना एवं

- (2) प्रचारण द्वारा महाविद्यालय कोष से 40,000 रु प्रतिवर्ष तक व्यय करने के अधिकार में बढ़ा कर 50,000 रु तक प्रतिवर्ष व्यय करने का सदानुमति से निर्णय लिया गया।
- (3) पूर्व मीटिंग के विनियम 05 में वर्णित कार्य कक्षाएं-13/14/15 के समक्ष मैदान को परिष्कार द्वारा बन्द करने हेतु डॉ. गोविन्द साहय भोज एवं श्री कल्याण बेंबरा जी को आधीश्वर कर, आगामी बजट के पूर्व अगस्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सभी ने एक स्वर से निर्णय लिया।
- (4) पूर्व बजट के विनियम 06 के अनुसार प्रथम मैजिल पर कक्षाएं 22/26 के सामने बरामदे में रैंडिंग लगवाने के लिए डॉ. राम लीला यादव एवं डॉ. सुरेन्द्र गुप्ता जी को आधीश्वर किया।
- (5) पूर्व मीटिंग के विनियम 04 में वर्णित कार्य शेड्स/रीनशेड को बनाने हेतु R.C.C./रीनशेड/लीमेट रीनशेड के कार्य को बनाने की जिम्मेदारी श्री मुकेश गोयल जी एवं श्री वीरेन्द्र शर्मा साहब को आधीश्वर कर दी गई।
- (6) पूर्व मीटिंग के विनियम 08 में वर्णित कार्य पार्किंग के गार्डन की देखरेख एवं रखरखाव के लिए एक छात्र करिग मशीन एक एक कैंची कृप कराने का कार्य श्री भावान साहय शर्मा व डॉ. सुरेन्द्र गुप्ता जी को सौंपा गया।
- (7) कॉलेज के प्रशासनिक भवन में जिन छतों से पानी रपकतारें उनकी मरम्मत का कार्य, महाविद्यालय में कक्षाकक्ष एवं बरामदों में मरम्मत का कार्य तथा कॉलेज परिसर के फर्श में उखड़े एवं छंके हुए कोरा स्टोन के मरम्मत का कार्य बनाने का सदानुमति से निर्णय लिया गया। इन कार्यों की जिम्मेदारी डॉ. गोविन्द साहय भोज, डॉ. महेश चण्ड यादव एवं श्री कल्याण बेंबरा को सौंपी गई।
- (8) सम्पूर्ण महाविद्यालय का रंगरोगन बनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया इस कार्य को पूर्ण करने हेतु श्री मुकेश गोयल को जिम्मेदारी सौंपी गई।
- (9) महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन व कक्षाकक्षों में लगे हुए लकड़ी के टूटे हुए किताबों की मरम्मत/बदलाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इस कार्य की जिम्मेदारी डॉ. सुरेन्द्र गुप्ता को दी गई।
- (10) महाविद्यालय में आवश्यकानुसार बिजली फीटिंग व मरम्मत कार्य करवाने जाने का सभी ने एक स्वर से निर्णय लिया। इस कार्य हेतु को पूर्ण करने हेतु श्री मुकेश गोयल एवं श्री कल्याण बेंबरा को आधीश्वर दिया गया।

(11) महाविद्यालय में शैक्षणिक स्टाफ, लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं कम्प्यूटर अनुदेशक के पद रिक्त होने के कारण शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यवधान होता है अतः एक कम्प्यूटर अनुदेशक 6000/- म प्रतिमाह, चार लघुपत्र कर्मचारी 4500/- म प्रतिमाह (एक लघुपत्र कर्मचारी) एवं एक सफाई कर्मचारी 3000 म प्रतिमाह मानदेय पर (पूर्वतया अस्थायी रूप से) नियुक्त करने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

(12) अध्यापक एवं लाइव की ओर से स्मार्टर के सभी सदस्यों से आग्रह किया गया कि वे महाविद्यालय विद्यालय के लिए क्षेत्रीय जगप्रतीनीधी सांपड विद्यालय एवं मामराहों से अपने प्रभाव को उपयोग करते हुए आवश्यकतानुसार सहयोग दिव्य करें।

11/11/2021

प्रमाणित
(भावात सहाय शर्मा)
साचिव

आमंत्रणंक 12-10-2017 में प्राचार्य कक्ष में प्राचार्य एवं अध्यापक की बैठक में मुख्य विद्यार्थी विभागाध्यक्ष साहनी की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया गया जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे -

1. प्राचार्य - डॉ० आनंदलाल कोहिलार
2. क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष - डॉ० भोज राजा
3. स्थानीय विद्यार्थी - श्रीमती राजकुमारी जादव
4. क्षेत्रीय नगरपालिका - श्री अरविन्द जैन
5. उपनिष्ठा कलेक्टर -
6. सहपाठ्य निदेशक कालेजारी साहोपा -
7. शिक्षा विभाग - श्री मोहनलाल गोयल
8. शिक्षा विभाग - श्री रंगीलाल मीना
9. प्रमुख नागरिक - श्री अजय मित्तल
10. प्रमुख नागरिक - श्री आनंद गोयल
11. कोषाध्यक्ष - श्री मुकेश कुमार गोयल
12. सहपाठ्य सदस्य - डॉ० गोविन्द सहस्र मीना
13. " - डॉ० महेश चन्द यादव
14. " - श्री केशव बंसल
15. " - श्री सुरेश कुमार गुप्ता
16. सहपाठ्य लेखाधिकारी - श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा
17. छात्र अभिभावक - श्री मदन मोहन गुप्ता
18. " - श्री सुरेश चन्द महावर
19. छात्राध्यक्ष अध्यापक - श्री रामवीर शर्मा गुर्जर

सर्वप्रथम सचिव कावान सहपाठ्यार्थी ने पिछली मीटिंग दि० 10.07.2017 की कार्यवाही का विवरण सदस्यों के अनुमोदन हेतु पढ़कर सुनाया। सभी सदस्यों ने मत कार्यवाही का ध्यान रखते अनुमोदन किया। इसके बाद आज की कार्यवाही का एजेन्डा पढ़कर सुनाया एवं विमुक्त चर्चा कर सर्वसम्मति से निम्न निर्णय किए गए -

- (1) सर्वप्रथम पूर्व मीटिंग दि० 10.7.2017 में आर्काइव कार्यों की समीक्षा कर कार्य निष्पादन पर विस्तृत चर्चा की गई जिसपर श्री वीरेन्द्र शर्मा लेखाकार ने बताया कि P.W.D को कार्य निष्पादन हेतु तलबना भिजवाने के लिए पत्र प्रेषित किया गया है परन्तु आज तक P.W.D. से तलबना प्राप्त नहीं हुआ है -
- (2) P.W.D. से तलबना प्राप्त के लिए सम्बन्धित सम्पर्क करने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

- (3) महाविद्यालय परिसर में बिजली मरम्मत हेतु स्टोर की पर से प्रशासनिक भवन एवं कक्षाओं में असेसिबल बिजली फिटिंग / मरम्मत की सूची तैयार करवाने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया।
- (4) महाविद्यालय में आवश्यकतानुसार एक कम्यूटर अनुदेशक एवं दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त करने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
- (5) पूर्व में C.D.C. द्वारा नियुक्त सफाईकर्मी के हारा वेंतन बहि के लिए दिए गए प्रार्थनापत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया और माह अक्टूबर, 2017 से 300 रु. प्रतिमाह की वृद्धि करते हुए सफाईकर्मी के मासिक वेतन बढ़ाकर 3500/- रु. प्रतिमाह करने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
- (6) श्री रामकीरानेह गुर्जर, छात्राध्यक्ष अदक्ष हारा कक्षाओं के बाहर की तरफ दूरे हुए नाहियों के पाइपों की मरम्मत करवाने हेतु विचार रखा गया जिसमें पाइपों की ड्रिल करवाने पर सकारात्मक से निर्णय लिया गया।

15/11/2018

प्रिंसिपल
12-10-2017
(साचीव)

आज दिनांक 15/01/2018 को प्राचार्य एवं अध्यक्ष (COC) की अध्यक्षता में प्राचार्य कक्ष में, महाविद्यालय विकास समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे।

1. प्राचार्य एवं अध्यक्ष - डा. आर. एस. खोलिया हस्ताक्षर
2. क्षेत्रीय संसद - डा. मनोज राजौरिया हस्ताक्षर
3. स्थानीय विधायक - श्रीमती राजकुमारी जारक
4. सभापति नगरपरिषद - श्री अरविन्द जैन
5. उपमिला कलेक्टर - " शेर सिंह लुहाड़िया
6. सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, बोय
7. शिक्षा विद - श्री मोहन लाल गोयल
8. शिक्षा विद - श्री रंगीलाल मीना
9. प्रबुद्ध नागरिक - श्री अमर मिश्र
10. प्रबुद्ध नागरिक - " अनिल गोयल
11. शिक्षाध्यक्ष - " सुरेश कुमार गोयल हस्ताक्षर
12. सहायक सदस्य - डा. गोविन्द सहाय मीना हस्ताक्षर
13. " " - डा. सुरेश कुमार गुप्ता हस्ताक्षर
14. " " - श्री सुरेश चन्द मीना हस्ताक्षर
15. " " - " मेलाश बेरका हस्ताक्षर
16. सहायक लेखाधीशरी - " वीरेंद्र कुमार शर्मा हस्ताक्षर
17. छात्र अभिभावक - " मदन मोहन गुप्ता
18. " " - " सुरेश चन्द महावर
19. छात्रसंघ अध्यक्ष - " रामवीर सिंह गुर्जर हस्ताक्षर
20. सचिव - " भगवान सहाय शर्मा हस्ताक्षर

सर्वप्रथम सचिव श्री भगवान सहाय शर्मा ने पिछली मीटिंग की कार्यवाही का विवरण समझाया। सभी सदस्यों ने गत कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन किया। इसके बाद आज की मीटिंग का एजेन्डा पढ़कर सुनाया एवं विस्तृत चर्चा कर सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिए -

(1) छात्रसंघ अध्यक्ष श्री रामवीर सिंह गुर्जर ने महाविद्यालय भवन के रंगरोजन एवं पुताई करवाने हेतु विचार राके सिफारश की वीरेंद्र शर्मा, लेखाकार ने बताया कि उक्त कार्य पूर्ण हेतु P.W.D. विभागों से अनुमति लाना हेतु 4x मिजवाया हुआ

आज दिनांक 25-01-2018 को प्राचार्य एवं अध्यक्ष (CDE) की अध्यक्षता में प्राचार्य कक्ष में महाविद्यालय विकास समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए -

- | | | |
|--|---------------------------|--------|
| 1. प्राचार्य एवं अध्यक्ष - | श्री भावानन्द झा | माननीय |
| 2. क्षेत्रीय सचिव - | डॉ० मनोज राजौरा | |
| 3. स्थानीय विधायक - | श्री भरोही लाल जाटव | माननीय |
| 4. सम्मानित नगर परिषद - | श्री अरविन्द जैन | |
| 5. उपाजिला कलेक्टर - | श्री सुरेश चन्द्र लुनकर | |
| 6. लक्ष्य निदेशक, काहेलाही कोटा - | डॉ० दिवेशा तिवारी | |
| 7. शिक्षाविद् - | श्री मोहनदास गौयल | |
| 8. शिक्षाविद् - | डॉ० राजा सिंह | |
| 9. प्रमुख नागरिक - | श्री रंगीनात मोन | |
| 10. प्रमुख नागरिक - | श्री उमेश कुमार | |
| 11. ए. वी. सी. एट प्रोफेसर (विकास सहायक) - | डॉ० गोविन्द लाल मोन | |
| 12. संकाय सदस्य (कोषाध्यक्ष) - | श्री मुखेश कुमार गौयल | |
| 13. संकाय सदस्य - | श्री सुरेश चन्द्र मोन | |
| 14. संकाय सदस्य - | श्री सुरेश कुमार गुप्ता | |
| 15. संकाय सदस्य - | श्री श्रीनिवास गुर्जर | |
| 16. संकाय सदस्य - | श्री रामप्रसाद मोन | |
| 17. सहाय लेखाधिकारी - | श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा | |
| 18. छात्र अभिभावक - | श्री गजेन्द्र मोन | |
| 19. छात्र अभिभावक - | श्री बनारी लाल महाकर | |
| 20. छात्र संघ अध्यक्ष - | श्री रविन्द्रा सिंह मोन | |
| 21. सह प्राध्यापक (विद्यार्थी) - | श्री खेम सिंह मोन | |

सर्वप्रथम सचिव द्वारा पूर्व मीटिंग दिनांक 23.04.2018 की कार्यवाही का अनुमोदन हेतु पढ़कर सुनाया, जिसे सभाने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया, इसके बाद सचिव द्वारा आज की मीटिंग के हेजेन्डा सदस्यों के समक्ष पढ़कर सुनाया जिस पर सभी सदस्यों ने क्रमशः पारस्परिक चर्चा कर सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिए -

- (1) श्री सुरेश चन्द्र मोन एवं श्री श्रीनिवास गुर्जर ने महाविद्यालय के मुख्यगोर के पास स्पीड ब्रेकर, एवं बस स्टॉप के बिना बनवाने हेतु प्रस्ताव रखा, जिसमें नगर परिषद को पत्र व्यवहार कर इस कार्य को सम्पादित करने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया।

- (2) विभागीय महोदय ने कहा कि 1200 निर्वाचित विद्यार्थियों पर महाविद्यालय में नियुक्त में नियुक्त 04 कर्मचारी (न्यूप्ले) कार्यभार को दोनो डिए कम हैं अतः मानदेय में पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या में बृद्धि कर, योग्य कर्मचारी रहने का विचार रखा, जिस पर सदन ने सर्वसम्मति से अपनी स्वीकृति प्रदान की।
- (3) श्री गोविन्द लक्ष्मण मौजा ने महाविद्यालय के पीछे खोले हुए बाऊण्टी वाल को रिफर करवाने का विचार रखा। श्री मुकेश गोयल द्वारा सदन के सदस्य रेनोवेशन, न्यू वर्वीन निर्माण कार्य के अन्तर्गत बाऊण्टी बाहु को दीक कराने के सुझाव पर सभी ने एक स्वर से समर्थन किया।
- (4) प्रान्तीय श्री जी.एल. शर्मा एवं डॉ. सुरेश कुमार द्वारा ए.ए.ए. द्वारा मानदेय पर नियुक्त कर्मचारियों की मानदेय बृद्धि पर विचार करने का प्रस्ताव रखा। विभागीय महोदय द्वारा सहायक कर्मचारी (न्यूप्ले) 500 रु., स्वीपर का 200 रु., एवं कम्प्यूटर अनुदेयक का 700 रु. प्रतिमाह मानदेय बृद्धि के उद्देश्य से सुझाव पर सदन ने सर्वसम्मति से अपनी स्वीकृति प्रदान की। उक्त प्रतिमाह मानदेय बृद्धि राजनवरी 2019 से लागू करने पर सभी ने एक स्वर से समर्थन किया।
- (5) श्री केमलसिंह मौजा एवं श्री मुकेश गोयल ने महाविद्यालय में लट्ठरी की मूर्ति की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा, प्रत्युत में प्रान्तीय श्री गगनराज सहाय शर्मा ने 31 जुलाई, 2019 से पूर्व महाविद्यालय में स्वयं के स्वयं पर लट्ठरी मूर्ति की स्थापना की घोषणा की, जिसका सदन ने स्वीकृति से स्वागत किया।
- (6) श्री गोविन्द लक्ष्मण मौजा ने मुख्य गेट के पास रोड पर विद्यार्थियों को बसों एवं धूप से बचाव हेतु सड़क किनारे पर रॉनछेड, कुर्सी, स्वयं के स्वयं पर स्तम्भों की घोषणा की, जिसका सदन ने एक स्वर से प्रत्यक्ष स्वीकृति किया।
- (7) श्री निवाल गुजर द्वारा विज्ञान संकाय में उपभोक्ता परीक्षाओं की सामग्री के संघाण एवं संचालन हेतु, पांच गोडरेज आधुनिकी (लेहा) एवं वहाइट बोर्ड स्थापना करने का प्रस्ताव रखा, जिसपर प्रान्तीय श्री द्वारा महाविद्यालय में उपस्थित सामग्री में ही विज्ञान संकाय को सामग्री उपलब्ध कराने की संस्तुति का एकमत से सदन ने समर्थन किया।
- (8) कक्षा नं-01 कम्प्यूटर प्रयोगशाला एवं कक्षा नं-02 E class कक्षा होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से, इन दोनों कक्षाओं के सामने के बरामदों को ईंट की दीवार एवं जोड़े की जाड़ी से बन्द करवाने पर सदन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। साथ ही कक्षा नं-01 के सामने स्थापित चंगन गेट को कक्षा नं-02 के सामने लगावाने पर सर्वसम्मति बनी। उक्त कार्य की पूर्ति हेतु श्री मुकेश गोयल एवं श्री नीरज शर्मा-A.A.O. को अधिकृत किया गया।

अगला: →

वैदक कार्यवाही विवरण

दिनांक 20-11-2019

Kamal

आज दिनांक 20-11-2019 को महाविद्यालय विकास समिति (पंजीकृत) की बैठक प्राचार्य एवं अध्यक्ष महाविद्यालय विकास समिति की अध्यक्षता में दोपहर काद 02 बजे कम्प्यूटर प्रयोगशाला में आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया।

1. प्राचार्य एवं अध्यक्ष :- श्री रामराम शीमा
2. क्षेत्रीय सांसद :- डॉ. मनोज राजौरिमा
3. स्थानीय विधायक :- श्री गौरीलाल गोलव
4. सभापति नगरपालिका :- श्री अरविन्द शर्मा
5. उपजिला कलेक्टर :- श्री सुरेश कुमार साहव
6. सहायक निदेशक सौदा :- डॉ. कै. एम. गवेन्डा
7. शिक्षाविद :- श्री बाबू साधु शीमा
8. शिक्षाविद :- श्री महेश चन्द्र साहव
9. प्रमुख नागरिक :- श्री विष्णु कुमार गुप्ता
10. प्रमुख नागरिक :- श्री विनोद कुमार गोलव
11. संकाय कोषाध्यक्ष सह-मुख्य :- श्री सुरेश चन्द्र शीमा
12. संकाय सदस्य एवं कोषाध्यक्ष :- श्री सुमन कुमार गोलव
13. संकाय सदस्य :- श्री लवणीत शीमा
14. संकाय सदस्य :- श्री धर्मेश सिंह
15. संकाय सदस्य :- श्री श्रीनिवास गुर्जर
16. संकाय सदस्य :- श्री उमेश कुमार शर्मा
17. सहायक लेखाधिकारी :- श्री हेमन्त कुमार शीमा
18. छात्र कनिष्ठावक :- श्री कुशीन शीमा
19. छात्र कनिष्ठावक :- श्री सागर सिंह शीमा
20. छात्र संघ अध्यक्ष :- श्री चेतन शीमा
21. सह छात्र निधि विधायक :- श्री वैभव सिंह शीमा

सर्वप्रथम महाविद्यालय विकास समिति सचिव श्री सुरेश चंद्र शीमा ने जन वैदक दिनांक 25.01.2019 की कार्यवाही का विवरण बैठक में पढ़कर सुनाया गया जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके बाद सचिव द्वारा आज की बैठक का एजेन्डा सदस्यों के समक्ष पढ़कर सुनाया गया जिस पर सभी सदस्यों ने प्रश्न विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निष्कर्ष निकाला निर्णय लिए गए।

(1) महाविद्यालय विकास समिति में निकल शिक्षाविद एवं पूर्व प्राचार्य श्री बाबू साधु शीमा ने ज्ञात किया कि वह केंद्र की शीमा 25.1.2019 में लिए गए उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेना है या नहीं, कब और कहा जाने / इस पर सचिव श्री ने बताया कि

पूर्वमानकेप

1 दिसम्बर 2019 से
जावदप

(1) सैविश सहायक कर्मचारी

5250

6250

(2) सैविश सहायक सहाईकर्मी

3300

4300

(3) सैविश कम्प्यूटर ऑपरेटर 7000

8000

नोट:- सैविश कर्मचारियों के निम्नलिखित शर्तों का अतिवार्तिक से पालन करना होगा।

(1) उल्लेख सैविश सहायक कर्मचारी के अग्रतम 8 वंटे कार्य करता होगा।

(2) ~~सैविश सहायक सहाईकर्मी~~ सैविश सहायक सहाईकर्मी का अधिकृत घाट: 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक महाविद्यालय में उपस्थित रहकर सहाई कार्य करना होगा।

(3) सैविश कम्प्यूटर ऑपरेटर घाट: 11 बजे से शाम 5 बजे तक महाविद्यालय में उपस्थित होकर कार्य करना होगा। कार्य में लापरवाही कर रहे पर सैविश कर्मियों को तुरन्त कार्य से हटा दिया जावेगा। निष्पक्ष एवं सम्मान से लिया गया।

(4) नव-नियुक्त सैविश सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति के अनुमोदन हेतु विचार-विमर्श

महाविद्यालय विकास समिति सचिव ने अवगत करवा कि महाविद्यालय के कर्मियों को पूर्ण करने हेतु सैविश सहायक कर्मचारी पहले से कार्यरत हैं जोसे महाविद्यालय का सम्पूर्ण कार्य सम्पादित किया जाता सम्भव नहीं होगा यह है ऐसी स्थिति में कार्य निष्पक्ष हेतु महाविद्यालय में तीन नये सैविश सहायक कर्मचारी रखे हैं जिनमें एक सैविश सहायक कर्मचारी महाविद्यालय बॉक्स के अलावा गेट की देखरेख एवं वेद-जैदों में पानी देने की व्यवस्था रहेगा। उपरि महाविद्यालय विकास समिति के सभी सदस्यों द्वारा अग्रतम तीन सैविश सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति का सर्व सम्मान से अनुमोदन किया गया।

(5) महाविद्यालय विकास समिति क्षेत्र में बृद्धि करने पर विचार-विमर्श

महाविद्यालय के सह-प्रधान एवं कोषाध्यक्ष की अध्यक्षता में

महाविद्यालय में सैरीन पूर्व में ही निर्मित है तथा साइकिल
ट्रैन्ड पर केवल पिला बने हुए हैं जिसपर जिसके साइकिल
ट्रैन्ड का डेका नोवेगा उसी के ~~मोती के कुर्चे~~ पर उल्टा दि
रूप के लारवरी करके - पाव कयाया नोवेगा । दोनों के
बिच गियामा सार गिविफा गी का शुरु करने का निर्जीन
निर्वाहमाहि से विभा गला ।

अनुर में गचार्य गद्येप ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का
विशेष रूप से माननीय विद्यालय में ही का आचार्य सभ
करते हुए कहा कि आपके निर्देशन में महाविद्यालय का
- रङ्गमंची विकास सम्भव होगा । अतः आपने व्यवस्था
समय में ही समस्त विकास का महाविद्यालय में उपस्थित हुए
इसके लिए मैं आपका धन्य है आभाषी है । साथ ही
पूर्व गचार्य श्री वावसव्यमीना के अति श्री आचार्य सभ
किया, इसके बाद सभी सम्मानित सदस्यों के धन्यवाद देने
के उपरान्त बैठक की विरती किया गया ।

अनुरभी

20/11/21

श्व में अनुसूत उद्घाटन संख्या 1 एवं सदस्यी प्रति एवं
साइकिल ट्रैन्ड समस्त समस्त । एवं विकास समिति
के सदस्य श्री वेम सिंह जी ने इन उद्घाटन के
विधानन करने के लिए धन्यवाद दिया इस
उद्घाटन का सभी सदस्यों ने समर्थन दिया । तथा
उक्त प्रतिग की कार्यवाही का सभी ने सर्वसम्मति
से अनुमोदन किया ।

डा. सुहास

22-2-2021

विनोद

मोमी

22/02/21

अनुमोदन

22/2/21

22/2/21

22/2/21

वेम सिंह

20.2.2021

20.2.2021

22/02/21

22/2/21

22/2/21

22/2/21

प्रस्ताव सं. 01 :-

संविदा आधार पर महाविद्यालय विभाग समिति

में कार्यरत कम्प्यूटर अनुदेशक सहायक कर्मचारी एवं
प्राचार्य सफाई कर्मचारी के मानदेय में वृद्धि
करने पर विचार

महाविद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मियों में आवेदन पर
प्रस्तुत कर आग्रह किया है कि वर्तमान में छात्रों के दौर
में जो मानदेय प्राप्त होता है उससे परिवार का
भरण-पोषण किया जाना सम्भव नहीं है। प्राचीन
पर जो प्राचार्य एवं अन्य महाविद्यालय विकास
समिति ने सदन के समक्ष विचारार्थ रखा। समिति
के सदस्य व शिक्षाविद् श्री बाबू सहाय मीना, श्री
श्वेत सिंह मीना एवं श्री श्रीनिवास गुप्ता ने संविदा
सहायक कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने हेतु
अपने विचारों में कहा कि कम से कम 3000 रु.
प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय का भुगतान किया
जाना जरूरी है क्योंकि वर्तमान में में छात्रों
चरम पर है छात्रों में उपस्थित मानवीय महोदय
श्री गौरी लाल जी नाटक में सभी सदस्यों से
विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव
पारित किया कि प्रत्येक संविदा कर्मियों को पूर्व
मानदेय में आनुपातिक रूप से 3000 रु. (तीन हजार)
(अधिकतम) प्रति संविदा कर्मियों प्रति माह वृद्धि करने का
निर्णय लिया गया

क्र.सं.	संविदा कर्मियों के कार्य	पूर्व मानदेय	स्वीकृत मानदेय
(1)	संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर	8000/-	11000/-
(2)	संविदा सहायक कर्मचारी	6250/-	9250/-
(3)	सफाई कर्मि	4300/-	7300/-

समिति ने सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि
मानदेय में उपरोक्त वृद्धि माह फरवरी 2021 से
लागू होगी।

प्रस्ताव सं. 02 :-

महाविद्यालय को आवांछित ग्रंथों के सीमा लागू
करण पर विचार विमर्श

महाविद्यालय विकास समिति सदस्य एवं छात्र-आगमनांक

श्री ~~सुशील~~ सिंह मीना एवं श्री श्वेत सिंह मीना ने संयुक्त रूप से
अग्रणी

व शैक्षणी की पर्याप्त व्यवस्था हो सके।
अनु में अचार्य महोदय द्वारा मातृशाला विषयक एवं
महापरिषद् समाप्ति का कक्ष के गहन हल से
अनुवाप सापित का कहा कि शैक्षणी की तरह
आगे भी महाविद्यालय प्रशासन को आवश्यक
सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त होना रहेगा। इसी
के साथ बैठक का विलीन किया गया।

दिनांक 22/2/2021

अ. क. मी. ग.
22/2/2021

अ. क. मी. ग.

अ. क. मी. ग.

अ. क. मी. ग.

अ. क. मी. ग.

अ. क. मी. ग.

अ. क. मी. ग.

अ. क. मी. ग.

अ. क. मी. ग.

अ. क. मी. ग.

अ. क. मी. ग.
25/11/22

अ. क. मी. ग.
23/11/2022
अ. क. मी. ग.
R-105

अ. क. मी. ग.
अ. क. मी. ग.

अ. क. मी. ग.

बैठक कार्यवाही विवरण

25/11/2022

Kamal

आज दिनांक 25/11/2022 (शुक्रवार) को महाविद्यालय विकास समिति (पंजीकृत) की बैठक प्राचार्य एवं अध्यक्ष महाविद्यालय विकास समिति की अध्यक्षता में रोपड़ कम्प्यूटर प्रयोगशाला में आयोजित की गयी जिसमें निम्न लिखित सदस्यो ने भाग लिया।

1. प्राचार्य एवं अध्यक्ष — श्री सुरेश चन्द मीना
2. क्षेत्रीय सांसद — श्री मनोज राजोरिया
3. क्षेत्रीय विधायक — श्री भरोसी लाल जाख
4. सभापति नगर परिषद — श्री राजेश जाख
5. उपजिला बल्लभ — श्री सुरेश कुमार बरसोल्या
6. सहायक निदेशक क्षेत्रीय मस्तर —
7. शिक्षा निदेशक — श्री बाबू सहाय मीना
8. शिक्षा निदेशक — श्री भागवत सहाय शर्मा
9. प्रमुख नागरिक — श्री मोहन प्रकाश भार्गव
10. प्रमुख नागरिक — श्री नफीस अहमद
11. सहायक सहाय — डा० महेश कुमार गज
12. प्राचार्य द्वारा मनोनित सदस्य — डा० सीतेश जैन
13. " " " " — श्री भुवनेश कुमार गोयल
14. " " " " — श्रीमती मोली मीना
15. " " " " — श्री अनिवार्य गज
16. " " " " — श्रीमती उममा मीना
17. सहायक लेखाधिकारी — श्री राधेश्याम मीना
18. छात्र अभिवाक — श्री सुजीव मीना
19. लेखन लाल मीना — श्री लखन लाल मीना
20. छात्र सहाय अहमद — श्री अमर मीना
21. प्राचार्य द्वारा मनोनित सदस्य — श्री रमेश सिंह मीना

सर्वप्रथम महाविद्यालय विकास समिति सचिव डा० महेश कुमार गज ने गत बैठक दिनांक 22-02-2021 की कार्यवाही का विवरण बैठक में पढ़कर सुनाया गया, जिससे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके बाद सचिव द्वारा आज की बैठक का प्रमुख सदस्यों के समक्ष पढ़कर सुनाया गया। जिस पर सभी सदस्यों ने आपसी विचार विमर्श करके सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये। सर्वप्रथम श्री राजेश जाख ने विकास समिति की वित्तीय स्थिति की जानकारी ली। जिसको श्रीमती राधेश्याम मीना ने बताया। प्रस्तावित महाविद्यालय परिसर में वाटर टावेलेट्स का निर्माण कराना। इस पर सभी सदस्यों ने

आपसी विचार विमर्श करके ये राय व्यक्त की कि भूमि में स्थित पुराने छवेरियाँ सिस्टम को रिपेयरि करवाया जाये और इस कार्य हेतु नगरपरिषद से पत्र लिखकर काम को सम्पन्न करवाया जावे। एवं महाविद्यालय में जादवीगार्ड एवं विज्ञान ब्लाक में नया वाटर छवेरियाँ सिस्टम बनवाया जाये। और इस हेतु नगरपरिषद सहायक अभियंता से इनकी लागत का एस्टीमेट तैयार करवाकर इस कार्य को विकास समिति को करवाया जावे। जिस हेतु कार्यिका प्रेजेन्सी नगरपरिषद। PWD से पत्र व्यवहार किया जावे।

प्रस्ताव सं० २. समाज विभाग के आगे डीन गेट का निर्माण कराना।

समाज विभाग जहां से दात्र। दात्राओं द्वारा माफिशोर टी.सी. अम्मनरु प्रमाण पत्र इत्यादि कार्य कराये जाते हैं। उनको धूप व वरसात से बचाये हेतु डीन गेट के निर्माण का निर्णय सभी सदस्यों ने आपसी विचार विमर्श करके हेतु सभी ने अपनी सहमति प्रकट की। इस हेतु नगरपरिषद को तस्मीना बनाने हेतु पत्र व्यवहार करने पर सहमति प्रकट की। तब कि काम सम्पन्न किया जा सके।

प्रस्ताव सं० - 3 - अधुरे बने हुए सार्वजनिक/वाहन स्टैंड को पूर्ण करवाना।

महाविद्यालय परिसर में मुख्यडार के राई ओर सार्वजनिक/वाहन स्टैंड अधुरा पड़ा हुआ है। जिस पर सभी सदस्यों ने विचार विमर्श करके पूर्ण निर्माण कराने पर सर्वसम्मति से अपनी सहमति प्रकट की। इस हेतु नगरपरिषद से तस्मीना बनवाने हेतु पत्र लिखने पर सहमति व्यक्त की। तस्मीना प्राप्त होने पर इस कार्य को रूसा में विकास मंड से पूरा करवाने पर सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की।

प्रस्ताव सं० - 4 -

महाविद्यालय परिसर में गार्डन विभास बनवाने हेतु -

अचार्य द्वारा मनोनित सदस्य पूर्ण दात्र सहे

अध्यक्ष श्री रमेश सिंह मीना ने महाविद्यालय मुख्य द्वार के बांयी ओर खाली पड़े हुए स्थान में उद्यान रखे, गांधी उद्यान एवं विज्ञान ललाट में उद्यान विकसित करने की पुरजोर मांग की जिस पर सभी सदस्य श्री श्री निवास गुर्जर ने अपनी सहमति प्रकट की। जिस पर सभी सदस्यों ने उद्यान विकसित करने की आवश्यकता पर लल दिया। श्री रीवेश शर्मा ने बताया की मन्त्रालय की तीसरी सार्वजनिक में अच्छी गैर फाट करने के लिए महाविद्यालय का सौंदर्यपूर्ण होना आवश्यक है। इस पर सर्वसम्मति श्री नफीस अहमद ने कहा कि वे व्यवस्थापक प्रयास करके उद्यान विकसित करने वाले को बुलायेगे और कम से कम लागत में महाविद्यालय में उद्यान विकसित करायेंगे सभी सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति प्रकट की और इस हेतु तत्परीना बनबाबर इस कार्य को विचार सक्षम से करने पर अपनी सहमति प्रकट की।

प्रस्ताव सं-5 महाविद्यालय में रात्रिकालिन एक ही चौकीदारई महाविद्यालय परिसर को देखते हुए एवं महाविद्यालय में भीगरी सामग्री को देखते हुए एक और रात्रिकालिन चौकीदार की आवश्यकता है। सभी सदस्यों ने आवश्यकता को देखते हुए इस विषय पर अपनी सहमति दी।

प्रस्ताव संख्या-6 महाविद्यालय में लैबसाइट निर्माण एवं दानों को वाई फाई की सुविधा देने हेतु 50 रुपये शुल्क लगाना-

इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने आपसी विचार विमर्श किया 500 रीवेश शर्मा ने बताया कि नैक, इस्पेशल के लिए महाविद्यालय की लैबसाइट लगानी है। एवं आयुक्त के निर्देशानुसार महाविद्यालय परिसर को वाई फाई युक्त बनाना है जिसकी सुविधा दानों को भी उपलब्ध करानी है। जिससे वह अपने अध्ययन में आने वाली मॉडर्न कोइर कर सके। इस विषय पर सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अगले सत्र 2023-24 से दानों पर 50 रु वाईफाई एवं लैबसाइट शुल्क लगाने पर अपनी सहमति प्रकट की।

प्रस्ताव संख्या-7 अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता

6. महाविद्यालय परिसर में खेल मैदान के विकास एवं सौंदर्यकरण को देखते परिसर पीछे उगे हुए कौली आड़िया एवं खरपतवार को (विदेशी कीचड़) को कच्चातर साफ करके समतलीय रूप से खेल मैदान डलू ~~विस्तृत~~ विस्तृत करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

7. महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों/अधिकारियों के रिक्त पदों को भर्ती हेतु विधायक महोदय को पत्र लिखा जावे।

8. द्वात्र सचिव अध्यक्ष श्री अरुण मीना ने प्रस्ताव रखा कि पूर्व में विधायक महोदय द्वारा द्वात्र सचिव कार्यालय हेतु 10 लाख रुपये जो खोले गये थे उस हेतु विधायक महोदय को भर्ती करने हेतु पत्र लिखा जावे एवं विधायक कार्यालय से उस राशि को जारी करवाने की अनुमति मांगी जावे।

9. नगर परिषद के उपसभापति श्री नफीस अहमद ने प्रस्ताव रखा कि महाविद्यालय में शौचालयों हेतु सुविधाओं के निर्माण हेतु नगर परिषद को पत्र लिखे जाने का प्रस्ताव रखा जिसपर नगर परिषद सभापति श्री वृजेश कुमार यादव ने अनुमति दे रखी और नगर परिषद से सुविधाओं निर्माण को आशवासन दिया।

अन्त में प्राचार्य एवं सचिव श्री सुरेश चन्द मीना ने सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया एवं भविष्य में महाविद्यालय विकास हेतु सभी सदस्यों से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की। इसी के साथ बैठक का विरामित किया गया।

25.11.2022

सचिव विकास समिति
राजकीय महाविद्यालय दिल्ली/एन

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Between
RUSA (GOVT. COLLEGE HINDAUN CITY)

&

RSAMB (DIVISION -BHARATPUR)

Name of work:-

S.no	Name of Works
1	Construction of College Building under RUSA Scheme at Hindon Distt. - Karauli
2	Repair & Renovation of Boundary Wall with Gate & Check Post, Roads & Other Infrastructure for College- Hindon under RUSA Scheme, District-Karauli

This Memorandum of Understanding (MOU) is made on the 19-10-2019 day of(Month)(Year) between "Principal Govt. College Hindaun City," as first party and this expression shall mean and include its successors, administrators and other authorized officers on behalf of RUSA- Department and Executive Engineer Rajasthan State Agricultural Marketing Board, Udaipur thereafter referred to as RSAMB as second party which expression shall mean and include its legal successors, administrators and officers having registered office at Pant Krishi Bhawan, Jaipur.

1. That First Party intends to undertake a construction work in Govt. College Hindaun City," Total costing about Rs ...160.00 + 160.00 = 320.00 Lacs inclusive of 09% agency charges, 1.50% work charge & contingency actual expenses of NIT and Price escalation charges as per letter no. ADM RSAMB Jaipur 8040-83 Dt. 15-07-2016
2. That the actual cost includes all expenditure incurred on work, taxes, claims, escalation charges etc but excludes salaries of staff, their TA DA and transport charges, which are covered under agency charges.
3. That the RSAMB shall prepare Design/Architectural drawings either by themselves or through consultant appointed for this purpose. That RSAMB shall get conceptual drawings approved from the authority designated by First Party.
4. Release of payment:- The payment shall be paid to RSAMB within fifteen days by Tribal Area Development Department. On requisition at the various stages, which shall be as under:-
 1. First Installment 50 % of the sanctioned cost with the financial sanction
 2. Second Installment 40 % of the sanctioned cost at the time of furnishing Utilization certificate of the first installment

3. Third Installment

10 % of the sanctioned cost at the time of furnishing Utilization certificate of the Second Installment and completion certificate of the work

5. That RSAMB shall commence the work and complete it within a period of 24 months for construction after issuing of Work Order which excludes 3 months of tender processing time from the date of Financial Sanction
6. Any statutory requirements of local bodies will be obtained by RSAMB on behalf of First Party and expenditure of the same shall be charged to work/ reimbursed by the client.
7. That the time is the main essence of the contract and both parties would timely discharge their respective duties committed in MOU so as to maintain spirit and character of the contract.
8. That RSAMB shall prepare detailed estimate and sanction it technically and send one copy thereof to First Party for information.
9. That in case the work is rescinded by the First Party, for any reason attributable to them, they shall be liable for immediately releasing actual expenditure incurred for the work executed as per contract plus agency charges and W.C. & Contingency and actual charges of NTT.
10. That RSAMB, on physical completion of the actual work, shall notify First Party about the said completion along with details of inventory and completion reports. First Party shall take over the building provided that the work has been completed satisfactory .
11. That RSAMB will issue a completion certificate on satisfactory completion of the work.
12. That work shall be carried out as per PWD specifications and IS codes.
13. That in case of recoveries or deduction made by First Party and not acceptable to RSAMB, later shall be entitled to file objection with Principal Govt. College Hindaun City & Administrator RSAMB with evidentiary proofs within a period of 30 days from the date of making such deduction/recoveries by First Party for their final decision.
14. That, RSAMB shall be liable for getting the work executed as per approved drawings and specifications for which written communications have been furnished by First Party and accepted by RSAMB. In case any alteration is suggested by First Party resulting into its dismantling, the expenditure so incurred shall be included in the actual cost and First Party shall revise their sanction to that extend.
15. That, the RSAMB shall be fully responsible for quality of the work and in order to ensure it, the RSAMB shall be fully responsible to carry out all necessary quality tests whose records shall also be maintained by them and all such record will be open for inspection by the authorized representative of the First Party.

16. That, RSAMB shall be liable for removing all defects if observed within defect liability period of Three year from the date of completion of building at their cost.
17. That no GST/IT/royalty/ etc at source will be deducted from the running bills of RSAMB by First Party. RSAMB shall be fully liable for deposition of such taxes to the concerned departments to face the consequences due to any delay.
18. That RSAMB & their Contractor shall fully abide by the existing labour laws, industrial laws, mining laws, forest laws, pollution laws, P.F. Laws etc. applicable for any construction and shall enforce the same during the entire period of its constructions.
19. That the jurisdiction of the Courts for seeking any legal action by any party to this MOU shall be the place where this MOU is signed by both parties.
20. That above offer by First Party has been fully and in principle accepted by the construction agency RSAMB which shall form backbone of the working relations between both parties in total performance of this contract in completion of this work.
21. That, force majeure clause shall be applicable, where no party shall be liable as per this MOU to other for any loss or damages occasioned by or arising out of act of GOD, or inevitable events such as flood, volcanic eruptions, earth quakes, or there convulsion of nature and other act beyond the control of both parties.
22. Time extension cases of contractors and any delay in execution or termination of contracted work will be governed by PWF & R and any recovery from the contractor will be credited to the work. Any delay in execution on the part of the contractor would be the sole responsibility of the second party. The second party would require to find the alternative to get the work completed within 3 months after previous stipulated time. The cost escalation would be borne by the second party which shall be accrued from the first contractor as per clause 2&3C. In such condition the first party would not release the next installment of the related work till the work is completed.
23. Any other extra or excess works except sanctioned estimate required as per norms or any reasons, extra fund should be provided to RSAMB.
24. All Statutory Central/State Govt. Tax/Duty/levies as applicable shall be part of actual Cost.
25. In witness where of the parties have signed the memorandum of understanding on the Day, month and the year as mentioned above.

S.no.	Name of work	Adm. Sanction no& date	E.R. Amt 2019 20 no& date	Remark
1.	Construction of College Building under RUSA Scheme at Hindon Distt. - Karnaul	SPD/RUSA 262 20/03/19 160.00 Lacs.	1270 84 18 10 19 80.00 Lacs.	
2.	Repair & Renovation of Boundary Wall with Gate & Check Post, Roads & Other Infrastructure for College-Hindon under RUSA Scheme, District-Karnaul	SPD/RUSA 262 20/03/19 160.00 Lacs.	1271 77 18 10 19 80.00 Lacs.	
	Total	320.00lacs	160.00lacs	

For RUSA-2

(Principal) 10-10-2019
Govt. College Hindon City
1. Witness
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हिण्डी न सि (राजकीय)

31/10/2019
सह/सहायक-आचार्य
राजकीय महाविद्यालय, हिण्डी न सि

सह/सहायक-आचार्य
राजकीय महाविद्यालय, हिण्डी न सि

For RSAMR

(Executive Engineer)
RSAMR Bhatnagar
1. Witness
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हिण्डी न सि (राजकीय)

2. Witness
31/10/19
श्रीमती राजकीय
राजकीय
राजकीय



कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

Karauli Road, Hindan City, Dist. Karauli 322230 Raj.
E-Mail- gehindaun@gmail.com Phone 07469-232013
Affiliated By University Of Kota, Kota NAAC Grade-"B"



क्रमांक 1413

दिनांक 3/12/19

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित संकाय सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाता है जो पुस्तकालय के ऑटोमेशन कार्य के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को आज ही प्रस्तुत करेंगे।

- 1 श्री सुरेश चन्द भीणा
- 2 श्री मुकेश कुमार गोयल
- 3 श्री सर्वेजीत भीणा
- 4 डॉ अनिल अग्रवाल
- 5 श्री धर्मेन्द्र सिंह

प्रभारी
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य

(रामराज भीणा)

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हिण्डौन सिटी

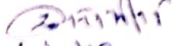
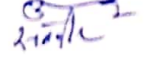
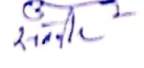
कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिण्डौन सिटी

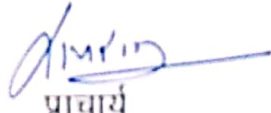
क्रमांक 1378

दिनांक 21/11/19

कार्यालय आदेश

Board of Governors (BOG) के निम्नलिखित सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 22/11/2019 अपरान्ह 12.00 बजे कम्प्यूटर कक्ष में एक आश्चर्य बैठक आयोजित की गई है जिसमें रुसा के बजट उपयोग हेतु चर्चा की जावेगी जिसमें आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है।

- 1 श्री रामराज मीणा प्राचार्य
- 2 श्री धर्मेन्द्र सिंह (नोडल अधिकारी रुसा) 
- 3 श्री सुरेश चन्द मीना सह आचार्य 
- 4 श्री मुकेश कुमार गोयल सह आचार्य 
- 5 श्री सवैजीत मीना सहायक आचार्य 
- 6 डॉ अनिल अग्रवाल सहायक आचार्य
- 7 सुश्री मोली मीणा सहायक आचार्य 
- 8 श्री श्रीनिवास गुर्जर सहायक आचार्य 
- 9 श्री अशोक कुमार बैरवा सहायक आचार्य 
- 10 श्री सतवीर सिंह कम्प्यूटर अनुदेशक 


प्राचार्य

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हिण्डौन सिटी

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिम्डौन सिटी

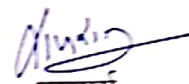
क्रमांक ~~1334-47~~ 1334-47

दिनांक 15/12/19

संशोधित आदेश

श्री गोविन्द सहाय मीना कार्यवाहक प्राचार्य का स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप महाविद्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 1074 दिनांक 31/8/2019 में निम्नलिखित आंशिक संशोधन कर निम्न संकाय सदस्यों का एक नया Board of Governors (BOG) का गठन किया जाता है जो महाविद्यालय में कक्षा से सम्बन्धित नितियों का निर्माण एवं महाविद्यालय में संस्थापित गतिविधियों को देखभाल करने एवं कक्षा कम्युनिटी 6 के तहत प्राप्त होने वाली अनुदान राशि को समुचित उपयोग करने।

- 1 श्री रामसुब्र मीणा प्राचार्य
- 2 श्री अर्जुन सिंह (नोडल अधिकारी कक्षा)
- 3 श्री सुरेश चन्द मीना सह प्राचार्य
- 4 श्री सुरेश कुमार गोयल सह प्राचार्य
- 5 श्री सर्वजीत मीना सहायक प्राचार्य
- 6 श्री अमित अग्रवाल सहायक प्राचार्य
- 7 श्री श्रीनिवास गृजर सहायक प्राचार्य
- 8 श्री अशोक कुमार बैरवा सहायक प्राचार्य
- 9 श्री सत्यदीप सिंह कम्यूटर अनुदेशक


प्राचार्य

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हिम्डौन सिटी

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिण्डौन सिटी
क्रमांक 1679

दिनांक 31/8/19

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय में निम्न **Board of Governors (BOG)** को सूचित किया जाता है कि दिनांक 2/9/2019 को दोपहर 11.00 बजे महाविद्यालय से सम्बन्धित नितियों का निर्माण एवं रुसा कम्पोनेन्ट 6 के बजट से प्लान के अनुरूप प्राप्त हुई अनुदान राशि से सामान क्रय एवं अन्य विचार विमर्श हेतु एक मीटिंग का आयोजन किया जायेगा जिसमें आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है।

- 1 श्री डॉ गोविन्द सहाय मीणा प्राचार्य
- 2 श्री धर्मेन्द्र सिंह (नोडल अधिकारी रुसा)
- 3 श्री सुरेश चन्द मीना सह आचार्य
- 4 श्री मुकेश कुमार गोयल सह आचार्य
- 4 श्री सर्वेजीत मीना सहायक आचार्य
- 5 डॉ अनिल अग्रवाल सहायक आचार्य
- 6 श्री श्रीनिवास गुर्जर सहायक आचार्य
- 7 श्री अशोक बैरवा सहायक आचार्य
- 8 श्री मनोज कुमार मीना सहायक आचार्य
- 9 श्री रामप्रसाद मीना शा.शि. अनु.
- 10 श्री बत्तीलाल मीना सहायक लेखाधिकारी प्रथम
- 11 श्री सतवीर सिंह कम्प्युटर अनुदेशक

12



प्राचार्य

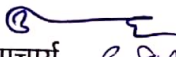
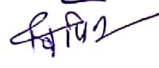
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हिण्डौन सिटी

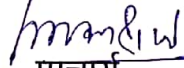
कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिण्डौन सिटी
क्रमांक 935

दिनांक 03/07/2019

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय में निम्न संकाय सदस्यों का एक नवीन **Board of Governors (BOG)** का गठन किया जाता है जो महाविद्यालय से सम्बन्धित नितियों का निर्माण एवं महाविद्यालय में संचालित गतिविधियों की देखभाल करेंगे एवं रुसा कम्पोनेन्ट 6 के तहत प्राप्त होने वाली अनुदान राशि के समुचित उपयोग करेंगे।

- 1 श्री भगवान सहाय शर्मा प्राचार्य
- 2 श्री धर्मेन्द्र सिंह (नोडल अधिकारी रुसा) 
- 3 डॉ गोविन्द सहाय मीणा सह आचार्य
- 4 श्री मुकेश कुमार गोयल सह आचार्य
- 5 श्री श्रीनिवास गुर्जर सहायक आचार्य 
- 6 श्री अशोक बैरवा सहायक आचार्य 
- 7 श्री विपिन कुमार बगडिया सहायक आचार्य 
- 8 श्री रामप्रसाद मीना शा.शि. अनु.
- 9 श्री सतवीर सिंह कम्प्युटर अनुदेशक


प्राचार्य

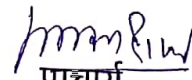
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हिण्डौन सिटी

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिण्डौन सिटी
क्रमांक 936
दिनांक 03/07/2019

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय में निम्न संकाय सदस्यों का एक **Project Monitoring Unit (PMU)** का गठन किया जाता है जो कि रुसा के कम्पोनेन्ट 6 के तहत प्राप्त होने वाले अनुदान का सदुपयोग करेंगे।

- 1 श्री भगवान सहाय शर्मा प्राचार्य
- 2 श्री धर्मेन्द्र सिंह (नोडल अधिकारी रुसा)
- 3 श्री सुरेश चन्द मीना सह आचार्य
- 4 श्री मुकेश गोयल सह आचार्य
- 5 श्री सर्वजीत मीना सहायक आचार्य
- 6 श्री श्रीनिवास गुर्जर सहायक आचार्य 
- 7 श्री बत्तीलाल मीना सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम
- 8 अधिशाषी अभियंता सार्व.निर्माण विभाग खण्ड हिण्डौन सिटी
- 9 श्री सतवीर सिंह कम्प्युटर अनुदेशक


प्राचार्य

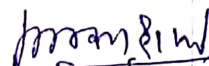
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हिण्डौन सिटी

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिण्डौन सिटी
क्रमांक ४४२ दिनांक २२/११/१९

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय में निम्न संकाय सदस्यों का एक **Project Monitoring Unit (PMU)** का गठन किया जाता है जो कि रुसा के कम्पोनेन्ट ६ के तहत प्राप्त होने वाले अनुदान का सदुपयोग करेंगे।

- १ श्री भगवान सहाय शर्मा प्राचार्य
- २ श्री सुरेश चन्द मीना (नोडल अधिकारी रुसा)
- ३ श्री मुकेश गोयल सह आचार्य
- ४ श्री सर्वेजीत मीना सहायक आचार्य
- ५ श्री धर्मेन्द्र सिंह सहायक आचार्य
- ६ श्री श्रीनिवास गुर्जर सहायक आचार्य
- ७ श्री बत्तीलाल मीना सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम
- ८ अधिशाषी अभियंता सार्व.निर्माण विभाग खण्ड हिण्डौन सिटी
- ९ श्री सतवीर सिंह कम्प्युटर अनुदेशक


प्राचार्य

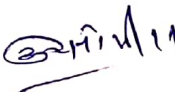
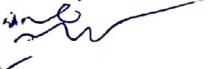
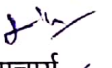
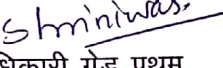
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हिण्डौन सिटी

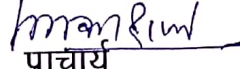
कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिण्डौन सिटी
क्रमांक 554

दिनांक 20/12/18

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय में निम्न संकाय सदस्यों का एक **Project Monitoring Unit (PMU)** का गठन किया जाता है जो कि रुसा के कम्पोनेन्ट 6 के तहत प्राप्त होने वाले अनुदान का सदुपयोग करेंगे।

- 1 श्री भगवान सहाय शर्मा प्राचार्य
- 2 श्री सुरेश चन्द मीना (नोडल अधिकारी रुसा) 
- 3 डॉ. सुरेन्द्र कुमार गुप्ता सह आचार्य 
- 4 श्री मुकेश गोयल सह आचार्य 
- 5 श्री श्रीनिवास गुर्जर सहायक आचार्य 
- 6 श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम
- 7 अधिशाषी अभियंता सार्व.निर्माण विभाग खण्ड हिण्डौन सिटी
- 8 श्री सतवीर सिंह कम्प्युटर अनुदेशक 


प्राचार्य

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हिण्डौन सिटी

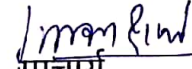
कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिण्डौन सिटी

क्रमांक 344

दिनांक 23-8-18

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय में रुसा 2.0 योजना में अनुदान प्राप्त करने हेतु श्री सोनूलाल मीना सह
आचार्य राज. विज्ञान को नोडल अधिकारी (रुसा) नियुक्त किया जाता है।


प्राचार्य

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हिण्डौन सिटी


(सोनूलाल मीना)

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिण्डौन सिटी

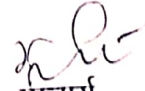
क्रमांक 132

दिनांक 14/6/2018

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय में निम्न संकाय सदस्यों का एक **Board of Governors (BOG)** का गठन किया जाता है जो महाविद्यालय से सम्बन्धित नितियों का निर्माण एवं महाविद्यालय में संचालित गतिविधियों की देखभाल करेंगे एवं रूसा कम्पोनेन्ट 6 के तहत प्राप्त होने वाली अनुदान राशि के समुचित उपयोग करेंगे।

- 1 डॉ. आर. एस. खोलिया प्राचार्य
- 2 श्री भगवान साहाय शर्मा (नोडल अधिकारी रूसा)
- 3 डॉ. गोविन्द साहाय गीणा
- 4 श्री कैलाश बैरवा
- 5 डॉ. सुरेन्द्र कुमार गुप्ता
- 6 श्री सतवीर सिंह कम्प्यूटर अनुदेशक


 प्राचार्य
 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 हिण्डौन सिटी



Government of Rajasthan

Higher & Technical Education

Achievement Video Screen Reader Access Register/Login Back to HTE

ज्ञान परख

For Mock Test

RAJIV GANDHI EFFORT AWARD FOR ACADEMIC EXCELLENCE-2021

Rajiv Gandhi

e-Content Bank

Gyan Sudha - Success Sathi
जोसेको सौभाग्यो ते तसोपि विपत्ती पर
व्याधमान, कोषको एव कोषिय संबन्धी मुक्तान



कार्यालय आदेश

दिनांक 07/04/2022

राजकीय विश्वविद्यालय कोटा मुख्य परीक्षा 2022 की आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के नियमित/ पूर्व छात्र/स्वयंपाठी अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 7/4/2022 से प्रारंभ हो चुकी है। अतः परीक्षा आवेदन पत्रों की विश्वविद्यालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जाँच कर, जाँचोपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पर अपने लघु हस्ताक्षर करने हेतु एवं अकादमिक शाखा में जमा करने हेतु निम्नप्रकार समितियों का गठन किया जाता है। ये सभी समितियाँ महाविद्यालय परिसर में कार्यालय समय (10.30 से 4.00 बजे तक) अपने निर्धारित स्थान पर उपस्थित रहकर जाँच करेंगे।

1 बी.ए. बी.कॉम, बी.एससी पार्ट प्रथम एम ए पूर्वार्द्ध हिन्दी (नियमित एवं पूर्व छात्र) कक्ष सं. 04

- 1 श्री रामराज मीना
- 2 सुश्री भोली मीना
- 3 श्री श्रीनिवास गुर्जर

2 बी.ए. पार्ट प्रथम (स्वयंपाठी) एडिशनल

कक्ष सं.16

- 1 डॉ अनिल अग्रवाल
- 2 श्री धर्मेन्द्र सिंह
- 3 श्री सहदेव सिंह चौधरी

3 एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम पूर्वार्द्ध (स्वयंपाठी) सभी विषय

कक्ष सं.15

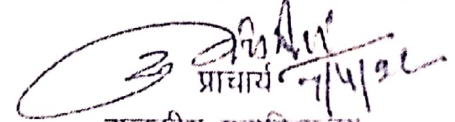
- 1 श्री सर्वेजीत मीना
- 2 श्रीमती उपमा मीना
- 3 श्री मनोज कुमार मीना

4 आवेदन पत्रों का संधारण एवं विकास शुल्क रसीद स्वयंपाठी छात्र से

1. बी.ए., बी.कॉम, बी.एससी पार्ट प्रथम (स्वयं पाठी) - संदीप राय
2. एम. ए. , एम.कॉम, एम. एस. सी पूर्वार्द्ध (स्वयं पाठी) - छोटनलाल मीना
3. सभी कक्षाओं के नियमित, एवं पूर्व छात्रों के फार्मों का संधारण - उमेश कुमार जाटव

5 विश्वविद्यालय लिस्ट से छात्रों का मिलान कराना- श्री अभिषेक डागुर, सतवीर सिंह

उपरोक्त समितियों को निर्देशित किया जाता है कि कोटा विश्वविद्यालय कोटा के निर्देशों की अक्षरशः पालना करते हुए परीक्षा आवेदन पत्रों को जाँच कर स्वहस्ताक्षर (पठनीय) से प्रमाणित करें। किसी भी प्रकार की गलती या उदासीनता के लिए समिति स्वयं उत्तरदायी होगी। सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 की गाइड लाइन की पालना सुनिश्चित की जावे।


प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
हिण्डौन सिटी

निलिपि :-

सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पालनार्थ
संकाय शाखा
अतिरिक्त पत्रावली

प्राचार्य

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिण्डौन सिटी

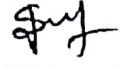
क्रमांक 129

दिनांक 30/05/22

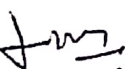
आदेश

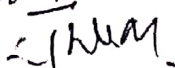
कोटा विश्वविद्यालय कोटा की मुख्य परीक्षा 2022 के सफल संचालन हेतु निम्नलिखित समितियों का गठन किया जाता है। गठित समितियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आवंटित कार्य को निष्ठा पूर्वक समय पर निष्पादित करना सुनिश्चित करें।

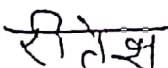
1 समेकित परीक्षा कार्यक्रम (मिर्जा रजिस्टर) तैयार करना

1 श्री सर्वेजीत मीना 

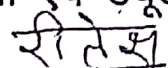
2 विश्वविद्यालय से प्रश्न पत्र प्राप्त करना एवं पारी वाइज आलमारी में जमाना

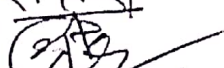
1 श्री मुकेश कुमार गोयल 

2 श्री रामराज मीना 

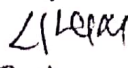
3 श्री रीतेश जैन 

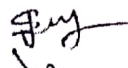
3 वीक्षको की व्यवस्था करना एवं ड्यूटी लगाना

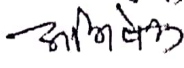
1 श्री रीतेश जैन 

2 श्री श्रीनिवास गुर्जर 

4 कक्ष बैठक, रोशनी, पेयजल एवं सफाई व्यवस्था समिति

1 श्री रामराज मीना 

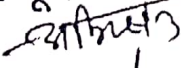
2 श्री सर्वेजीत मीना 

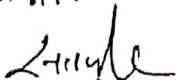
3 श्री अभिषेक डागुर 

5 वि० वि० से मूल्यांकन हेतु प्राप्त उ०पु० के बण्डलों को प्राप्त कर सम्बन्धित परीक्षक को देना एवं वापिस प्राप्त कर अवार्ड सहित विश्वविद्यालय को भेजना

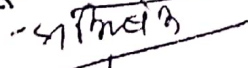
1 श्री श्रीनिवास गुर्जर 

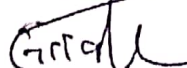
6 कार्यालयी परीक्षा संबंधी सम्पूर्ण कार्य (तीनो पारी)

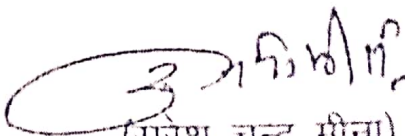
1 श्री अभिषेक डागुर 

2 श्री सतवीर सिंह 

7 सहायक कर्मचारियों की ड्यूटी परीक्षा संबंधी सम्पूर्ण कार्य (तीनो पारी)

1 श्री अभिषेक डागुर 

2 श्री सतवीर सिंह 


(सुरेश चन्द मीना)
प्राचार्य



Government of Rajasthan
STATE PROJECT DIRECTORATE
Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)
Email: spdrusaraj@gmail.com

No: F30(16)SPD/RUSA/2016/178

Date 31 March, 2020

ORDER

Subject: Release of Rs 4550 Lakh (Rs. Forty Five Crore Fifty Lakh) which comprises Centre Share Rs. 2730 Lakh and State share Rs. 1820 Lakh) as Grant-in-aid under Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA-2) for the year 2019-20 as follows:

- First Instalment of Rs. 750 Lakh to Mohan Lal Sukhadiya University Udaipur under Component 10: Research Innovation and Quality Improvement (Entrepreneurship & Employability and Innovation Hub)
- First Instalment of Rs. 1750 Lakh each to Mohan Lal Sukhadiya University Udaipur & University of Rajasthan Jaipur under Component 10: Research Innovation and Quality Improvement (Research Proposals)
- Second Installment of Rs. 100 Lakh each to Govt. College Dholpur, Govt. College Hindaun City & S.M.C.C Govt. College Aburoad under Component-6 : Upgradation of Existing Degree Colleges to Model Degree colleges of RUSA

1. In accordance with the approval received in the meeting of 12th Project Approval Board (PAB) held on 25 May 2018, Rs 5000 Lakh (Rs. Fifty Crore) for each of Mohan Lal Sukhadiya University Udaipur & University of Rajasthan Jaipur (Component 10), Rs 400 Lakh (Rs. Four Crore) for each of Government College Dholpur & Government College Hindaun City (Karauli) (Component 6) and in accordance with the approval received in the meeting of 14th Project Approval Board (PAB) held on 25.09.2018, Rs 400 Lakh (Rs. Four Crore) for S.M.C.C. Government College, Aburoad (Sirohi) (Component 6) was approved by MHRD in second phase of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA 2).
2. In the 16th Project Approval Board (PAB) meeting held on 09 September 2019, out of approved amount of Rs. Fifty Crore for each University under component 10, Rs. 1500 Lakh (Rs. Fifteen crore) is earmarked for Entrepreneurship, Employability and Innovation Hub and the balance Rs. 3500 Lakh (Rs. Thirty five crore) is for research proposals. For research proposals central grants will be released independent of the grants released for hub, which may be treated as a separate project within the component for the purpose of release of Central grants.
3. Against the approved amount, permission is hereby granted to release first Installment Rs 750 Lakh (Rs. Seven Crore Fifty Lakh) for Entrepreneurship, Employability and Innovation Hub (Component-10) to Mohan Lal Sukhadiya University Udaipur, First Instalment of Rs. 1750 Lakh each to Mohan Lal Sukhadiya University Udaipur & University of Rajasthan Jaipur for Research Proposals (Component 10), Second Installment of Rs. 100 Lakh each to Govt. College Dholpur, Govt. College Hindaun City & S.M.C.C Govt. College Aburoad (Component-6) as Grant-in-aid under Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA-2) in FY 2019-20 as per detail given in the table below & in accordance with MHRD sanction orders:
 - F.No24-47/2014-U.Policy (R)Multi-Gen) Dated 03.02. 2020
 - F.No24-47/2014-U.Policy (R)Multi -SC) Dated 03.02. 2020
 - F.No24-47/2014-U.Policy (R)Multi -ST) Dated 03.02. 2020 &
 - Department of Higher Education, Government of Rajasthan sanction order No. P 18(2) Edu-4/2014 Part RUSA dated 26.03.2020

[Signature]
V.S. 03.03.2020



Government of Rajasthan
STATE PROJECT DIRECTORATE
Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)
Email: spdirusara@gmail.com

Detail of sanctions and Amount to be released:

178/31.03.2020

RUSA-2: Component 10: Innovation and Quality Improvement Entrepreneurship & Employability and Innovation Hub						
Amount in Lakh						
S. No.	Name of Institution	Amount Approved	Amount Released till date	First Installment to be released		
				Centre Share	State share	Total
1	Mohan Lal Sukhadia University, Udaipur	1500	0	450	300	750
Total (Rs. Seven Crore Fifty Lakh Only)			0	450	300	750
RUSA-2: Component 10: Innovation and Quality Improvement (Research Proposals)						
Amount in Lakh						
S. No.	Name of Institution	Amount Approved	Amount Released till date	First Installment to be released		
				Centre Share	State share	Total
1	Mohan Lal Sukhadia University, Udaipur	3500	0	1050	700	1750
2	University of Rajasthan, Jaipur	3500	0	1050	700	1750
Total (Rs. Thirty Five Crore Only)			0	2100	1400	3500
RUSA -2: Component 6 (Upgradation of existing College in Model degree College)						
Amount in Lakh						
S. No.	Name of Institution	Amount Approved	Amount Released till date	Second Installment to be released		
				Centre Share	State share	Total
1	Government College, Dholpur	400	200	60	40	100
2	Government College, Hindaun City (Karauli)	400	200	60	40	100
3	S.M.C.C. Government College, Aburoad (Sirohi)	400	200	60	40	100
Total (Rs. Three Crore only)				180	120	300
Grand Total (Forty Five Crore Fifty Lakh only)				2730	1820	4550

[Signature]

[Signature] AAO



178/31.01.2020

4. The total sanctioned amount of Rs. 4550 Lakh has been disbursed by the State Government in the following plan budget heads as per breakup given below:

Budget Head	Amount (Rs. In Lakh)
2202-03-103-(11)-[01]-12	1321.43
2202-03-709-(06)-[00]-12	331.42
2202-03-796-(09)-[00]-12	237.09
4202-01-203-(07)-[01]-17 Construction	1061.43
4202-01-709-(11)-[01]-17 Construction	443.3
4202-01-796-(16)-[01]-17 Construction	354.53
TOTAL(Rs. Forty Five Crore Fifty Lakh only)	4550.00

This is in accordance with the ID no. 102001460 dated 20.03.2020 of Finance (Expenditure-1) Department, Government of Rajasthan.

5. The sanction is subject to implementation of the scheme as per RUSA-2 guidelines issued by the National Mission Directorate RUSA, MHRD, Government of India and follow the guidelines issued by the RSHEC and State Project Directorate (RUSA) from time to time. The Institutions have to follow:

- GF & AR i.e. Financial Rules and norms of Government of Rajasthan.
- The expenditure will be incurred as per the RUSA guidelines, PAB approvals and DPR submitted by the Institution.

iii) A set of two designated signatories at institutional level shall be notified.

iv) Proper accounts of the expenditure incurred out of the grants are to be maintained and ensure utilization of funds only under approved heads. A separate stock register and cash book must be maintained for RUSA grant.

v) Utilization Certificate in the GFR 12-C showing clearly the actual expenditure incurred under various heads above and the unspent balance available with the college, shall be furnished to the State Project Directorate (SPD), within 3 months from the receipt of the fund. Non submission of Utilization Certificate on time shall debar institutions from release of next installment.

vi) The final Utilization Certificate of complete grant supported by audited statement of expenditure to the effect that the grant has been utilized for the purpose for which it has been sanctioned shall be furnished to the SPD office.

vii) Audited record of assets acquired wholly or substantially out of the grant and a Register of Assets shall be maintained.

viii) RUSA account details for receipts and payments shall be mapped on PFMS portal to facilitate fund transfer and monitoring.

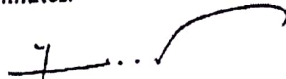
ix) The Council and State Project Directorate or its nominee shall have the right to check/verify the accounts to satisfy that the funds have been utilized for the purpose for which they were sanctioned.

[Handwritten signature]
2020



Government of Rajasthan
STATE PROJECT DIRECTORATE
Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)
Email: spdrusaraj@gmail.com

- x) **FUND TRACKER FORM** and Geotag photographs on Iliuvan portal depicting the progress of implementation for activities carried out under the project are to be updated at periodic intervals showing three stages of implementation, i.e. (a) Before commencement, (b) The intermediate stages and (c) After the completion of the project.
- xi) **Board of Governors (BoG) and Project Monitoring Unit (PMU)** shall be formed and notified to SPD to monitor the progress of project on a regular basis and to provide guidance for improving the performance of the institutions in project implementation.
- xii) All New constructions/Renovation/ Equipment created/ acquired under the grant should display the RUSA logo for which this grant is being used.
- xiii) Monthly progress report shall be submitted to the State Project Directorate, RUSA, for monitoring.
- xiv) Monitoring will be based on action plans prepared by each Institution and achievements made with respect to a set of norms which are defined in the institutional development plan.
- xv) No change in the approved DCF/DPR/Proposals will be done at institutional level. In case it is essential to undertake modification in the approved activities, the proposal for revision in DCF will first be discussed and approved in BOG of the institute and then submitted to SPD/RSHEC for approval of proposed changes with justification note and copy of BOG minutes.


(Pradeep Kumar Borar), IAS
Commissioner College Education,
State Project Director (RUSA) &
Member Secretary, RSHEC

F30(16)SPD/RUSA/2016/ 178

Date: 31 March, 2020

Copy for information / necessary action to:

1. S.A. to Hon'ble Minister, Higher Education.
2. P.S. to Secretary, Higher & Technical Education, Rajasthan.
3. P.A. to Commissioner of College Education, Rajasthan.
4. Director, National Mission Directorate RUSA, New Delhi.
5. Principal Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
6. Joint Secretary, Finance (Expenditure-1) Department, Secretariat, Jaipur.
7. Joint Secretary, Higher Education (Group-4) Secretariat, Jaipur.
8. Accounts Officer, Higher Education (Group-5) Department.
9. PA to Financial Advisor, Commissionerate, College Education, Jaipur.
10. Registrar, Concerned RUSA beneficiary Universities
11. Nodal officer(RUSA), Concerned RUSA beneficiary Universities
12. Principals of the Concerned Colleges
13. Treasury Officer, Secretariat, Jaipur.
14. The Drawing and Disbursing Officer Commissionerate, College Education, Jaipur.
15. Coordinators of concerned Institutions, State Project Directorate (RUSA)
16. Incharge Website, CCE for uploading on website.
17. Guard File.


(Dr. Vinodh Soni)
Joint Director (RUSA)